File No. MCDR-MCEDCLEMITE 1321/2002324 12/02 18-141 174 OB 141 MR QC & 14 Mputer No. 7743)

1/15845/2023 1/15845/2023





भारत सरकार **Government of India** खान मंत्रालय **Ministry of Mines** भारतीयं खान ब्यूरो **Indian Bureau of Mines**

माखुपुरा औद्यौगिक क्षेत्र, Makhupura Industrial Area, अजमेर — 305002 (राजस्थान) Ajmer-305002 (Rajasthan)

दिनांक: 24.08.2023

Mine Code: 38RAJ24004

संख्या: E/7743/MCDR-MiFL0LST/32/2023-AJM-IBM_RO_AJM

प्रेषित: खान एजेंट, आमली चूना पत्थर खान,

मेसर्स अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट लिमिटेड,

पोस्ट- आदित्य नगर,जिला-सिरोही (राजस्थान) 307031

Email-gajendra.s@adityabirla.com, monal.rajpara@adityabirla.com

Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Amli Limestone Mine (Lease area 468.6875Hect.) situated in Sirohi District of Rajasthan State.

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 09.08.2023 by the undersigned in presence of Shri

Monal Rajpara, Mine Manager:

Rule	Nature of violation observed in detail
No.	
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved
	Modification in Review of Mining Plan (Approved on 22.07.2022): -
	1) No proper terracing of waste dumps has been carried out along the hill slope as per proposals.
	2) During the year 2022-23, total 133m retaining wall was made against the proposal of 194m.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज सरंक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज सरंक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

- आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
- आपके विरूद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है। (ख)
- खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अत: आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पेंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय,

(डी.आर. गुर्जर) वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि, सूचनार्थ प्रेषित: -

- 1. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा) ।
- 2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर ।
- 3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, सिरोही ।
- 4. रक्षित पत्रावली ।